



सराहनीय कार्य



इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 09.10.2024

इटावा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को पीसीआर पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर

चोरी किये गये आभूषण (02 पायल, 01 अंगूठी, 01 गले की चेन व 03 सिक्के) किये गये बरामद ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में **थाना चकरनगर पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 28/29.07.2022 को वादी सुरेश चन्द्र जैन पुत्र स्व० मुन्नी लाल जैन निवासी कस्बा चकरनगर थाना चकरनगर जनपद इटावा द्वारा थाना चकरनगर पर तहरीरी सूचना दी गयी कि वादी की कस्बा चकरनगर में स्थित जैन ज्वैलर्स दुकान से अज्ञात लोगो द्वारा तिजोरी व अलमारी से सोने, चांदी आदि सामानो को चोरी कर लिया गया था । तहरीर के आधार पर थाना चकरनगर पर दिनांक 29.07.2022 को मु०अ०सं० 58/22 धारा 380/457 भादवि० अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं अभियोगों के सफल निस्तारण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 09.10.2024 को थाना चकरनगर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय इटावा से मु०अ०सं० 58/22 धारा 457/380 भादवि० से सम्बन्धित अभियुक्त मुनीश उर्फ मनीष कुमार का पुलिस कस्टडी रिमाण्ड प्राप्त कर अभियुक्त उपरोक्त की निशादेही पर घटना में चोरी किये गये जेवरात 02 पायल, 01 अंगूठी, 01 गले की चेन व 03 सिक्के (कुल वजन 100 ग्राम) बरामद किये गये ।

नाम व पता अभियुक्त-

मुनीश उर्फ मनीष कुमार पुत्र सहनसाह उर्फ सोहनलाल निवासी मोहल्ला बनारसीदास थाना कोतवाली जनपद औरैया ।

पंजीकृत अभियोग:-

मु०अ०सं० 58/22 धारा 457/380/411 भादवि० थाना चकरनगर जनपद इटावा ।

आपराधिक इतिहास:-

मुनीश उर्फ मनीष कुमार

1. मु०अ०सं० 58/22 धारा 457/380/411 भादवि० थाना चकरनगर जनपद इटावा
2. मु०अ०सं० 34/23 धारा 174-A भादवि० थाना चकरनगर इटावा
3. मु०अ०सं० 339/19 धारा 457/380/411 भादवि० थाना ऐरवाकटरा जनपद औरैया
4. मु०अ०सं० 155/21 धारा 457/380/411 भादवि० थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर
5. मु०अ०सं० 105/23 धारा 174-A भादवि० थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर

बरामदगी:-

1. 02 चांदी की पायल
 2. 01 चांदी की अंगूठी
 3. 01 चांदी की गले की चेन
 4. 03 चांदी की सिक्के
- कुल वजन 100 ग्राम

पुलिस टीम:- निरी० श्री राजेन्द्र विक्रम सिंह मय टीम ।

नोट:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा चोरी की घटनाओं के सफल निस्तारण हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे थाना चकरनगर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 58/22 अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण

1. प्रकाश पवार पुत्र छेदीलाल निवासीगण मौहल्ला बनारसीदास थाना कोतवाली जनपद औरैया
2. सत्यम सागर पुत्र अरुण कुमार निवासी मौहल्ला बनारसीदास थाना कोतवाली जनपद औरैया
3. बृजपाल चौहान पुत्र स्व० हेतराम निवासी मोहल्ला बनारसीदास थाना कोतवाली जनपद औरैया
4. प्रेम पवार पुत्र जीवन उर्फ जीवन सिंह निवासी मोहल्ला बनारसीदास थाना कोतवाली जनपद औरैया
5. सचिन चौहान उर्फ दरमेश सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी मोहल्ला बनारसीदास थाना कोतवाली जनपद औरैया
6. बहरू उर्फ भैरो पुत्र बंशी निवासी मोहल्ला बनारसीदास थाना कोतवाली जनपद औरैया
7. मुनीश उर्फ मनीष कुमार पुत्र सहनसाह उर्फ सोहनलाल निवासी मोहल्ला बनारसीदास थाना कोतवाली जनपद औरैया

के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये चोरी किये गये सोने के आभूषण (कुल वजन – 889.010 ग्राम) तथा चांदी के आभूषण (कुल वजन – 5.049 किग्रा) बरामद कर अभियोग का सफल निस्तारण किया गया ।